

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपरखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़
अदरलाल जी भागीलाल शर्मा बनाम 1. श्यामलाल जी भागीलाल शर्मा R/D धनेतकला
150 चनेतकला 2. श्रीमती मीरा D/D धनेतकला जी शर्मा
राजेश चनेतकला हाल - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
3. राजेश चनेतकला जी शर्मा लक्ष्मीनगर चित्तौड़गढ़
 म मुकद्दमा वार पत्र नं. 41/2021 (2021/94)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/12/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपाक्षित। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पूर्व में जारी कलेक। राजस्व/2023/132 रिजंक 27/2/2023 से प्रस्तुत मोंका विभाजन प्रस्ताव जो अलग पत्रावली है, रेकॉर्ड पर लिए जाते हैं। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर षष्ठ अधिवक्ता उभय पक्ष खुली गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने मोंका विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्ली जारी किए जाने बाबत निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन/अवश्यता कर अधिवक्ता उभय पक्ष के निवेदन पर मगन किया। प्रकरण में रिजंक 20/04/2022 को प्राथमिक डिक्ली जारी की गई, जिसकी पालना में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मोंका विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्ली के अनुष्य पाया जाने से हम्ब विभाजन प्रस्ताव वारी का वार पत्र बाबत ग्राम धनेतकला पण्डे धनेतकला तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आरजी एम्पा 869, 870, 1004 की ताण्ड कुल रकम 0.8200 हे. निम्नानुसार विभाजन का अन्तिम डिक्ली किया जाता है :-</p> <p style="text-align: center;">(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>	